

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1178

दिनांक 13/6/17

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 62/2011 अनवान मोटाराम बनाम चोखाराम वगैरा  
पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक  
8.6.17 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित  
प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट  
पेश करे।

सलंगन :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।



  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

**डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Apppendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन  
व इजलास श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी - 1.मोटाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट  
निवासी निम्बाला, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. चौखाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट  
निवासी निम्बाला, तहसील चौहटन  
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री अनिल गोदारा  
प्रतिवादीगण वकील - श्री नरेश भादू

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.  
मुकदमा नं. 62/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री अनिल गोदारा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री नरेश भादू एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम निम्बाला, तहसील चौहटन के खसरा नं. 918 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 919 रकबा 152.06 बीघा (वर्तमान खसरा सं. 1136/919 रकबा 151.10 बीघा )एवं मौजा साईयों का तला के खसरा सं. 751 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 752 रकबा 09.00 बीघा, खसरा सं. 761 रकबा 55.14 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सांरणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर.....  
..... बीज ..... मबलिंग ..... बाबत .....  
..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 2-6-17 को जारी की गई।



दस्तखत .....  
ओहदा चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वर्जी		
स्टाम्प सन्नूत			गहनताना चकील) पर खर्चा		
पइमनामा वकील			गवाहान फीस कमीशनर बाबत		
खर्चा गवाहान			इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
फीस कमीशनर				मीजान	
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
	मीजान				

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

उपरोक्त आधिकारी चौहटन  
 सहितक कलकत्ता एवं  
 (भागीरथराम)

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरमद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा लिहकी का भाग रहेंगे। पर्चा लिहकी जारी हो। खर्चा पक्षकयन अपना अपना वहन करेंगे।

क्र.सं.	खातदार का नाम मय वदियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बराग
1	चौखाराम पुत्र लिखमाराम, कौम जाट, सा.देह खातदार	निम्बाला	918	00.07	सैमडा	—	गुलाबी
			1136/919	25.00	बा.दी.	1.75	हरा
		तला	751	00.12	सैमडा	—	
			752	04.09	बा.दी.	0.31	
2	मोटराम पुत्र लिखमाराम, कौम जाट, सा. देह खातदार	निम्बाला	1136/919	75.18	बा.दी.	5.32	हरा
			751	00.10	सैमडा	—	
		तला	752	04.11	बा.दी.	0.32	गुलाबी
			761	27.17	बा.दी.	1.95	
योग		06	108.17	—	7.55		
योग		4	108.16	—	7.59		

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 62/2011

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1. मोटाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट  
निवासी निम्बाला, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. चौखाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट  
निवासी निम्बाला, तहसील चौहटन  
2. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री अनिल गोदारा  
प्रतिवादीगण वकील - श्री नरेश भादू


**अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.**

**निर्णय**

दिनांक :- 8.6.17

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प नेतराड़ में पेश हुई। वादी तथा प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। वादी उपस्थित एवं प्रतिवादीगण मय वकील उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन द्वारा पक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिस पर पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रदान की। तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।


अतः तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम निम्बाला, तहसील चौहटन के खसरा नं. 918 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 919 रकबा 152.06 बीघा (वर्तमान खसरा सं. 1136/919 रकबा 151.10 बीघा) एवं मौजा साईयों का तला के खसरा सं. 751 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 752 रकबा 09.00 बीघा, खसरा सं. 761 रकबा 55.14 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।



सहायक कलक्टर  
चौहटन

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन  
(भा.नि.सं.सं.)

*(Handwritten signature)*



उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरमद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिफी का भाग रहेंगे। पर्चा डिफी जारी हो। खर्चा पक्षकरण अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को स्याथलय कैम्प नगराह में सुनाया गया।

श्री		श्री					
2	श्री. देह खालदार श्री. देह खालदार, कौम जाट,	निम्बाला	1136/919	75.18	बा.दी.	5.32	हया
			751	00.10	श्रीमद	—	शुलाही
			752	04.11	बा.दी.	0.32	
1	श्री. देह खालदार श्री. देह खालदार, कौम जाट,	निम्बाला	1136/919	50.12	बा.दी.	3.54	शुलाही
			918	00.07	श्रीमद	—	
			751	00.12	श्रीमद	—	हया
06	श्री	तला	761	27.17	बा.दी.	1.95	
			752	04.09	बा.दी.	0.31	
			751	00.12	श्रीमद	—	
श्री		108.16	—	—	7.59		